"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 314] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2010—अग्रहायण 16, शक 1932

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 (अग्रहायण 16, 1932)

क्रमांक-12508/वि. स./विधान/2010.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 27 सन् 2010) जो दिनांक 7 दिसम्बर, 2010 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 27 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन) विधेयक, 2010

छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम, 1934 (क्रमांक 13 सन् 1934) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 1 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम, 1934 (क्रमांक 13 सन् 1934) की धारा 1 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—
"(2) इसका विस्तार निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर होगा."

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

1. छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत गरीबों को साहूकारी व्यापार के शोषण से बचाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम, 1934 में आवश्यक संशोधन हेतु छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम, 1934 की धारा 1 में यह संशोधन प्रस्तावित है.

2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर

दिनांक 4 दिसम्बर, 2010

अमर अग्रवाल
राजस्व मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम, 1934 (क्रमांक 13 सन् 1934) की धारा 1 का सुसंगत उद्धरण

* * * * * * * * * * * * * *

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ—
(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम, 1934 कहा जा सकेगा.
(2) यह समस्त छत्तीसगढ़ में विस्तारित होगा और प्रवृत्त होगा.
(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जो कि राज्य शासन अधिसूचना द्वारा निर्देशित करे.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.